



इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
नवरत्न कम्पनी
(भारत सरकार का उपक्रम)
IRCON INTERNATIONAL LIMITED
NAVRATNA COMPANY
(A Govt. of India Undertaking)



IRCON/SECY/STEX/124

27th February, 2026

BSE Limited Listing Dept./ Dept. of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 बीएसई लिमिटेड लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001 Scrip code / ID: 541956 / IRCON	National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C-1, G Block, Bandra –Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 Scrip Code: IRCON
---	--

Sub: Newspaper Publication - Public Notice to shareholders regarding special window for transfer & dematerialization of physical securities of Ircon International Limited.

Ref.: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam,

A copy of Newspaper clippings of the Public Notice published in Financial Express (English Language) and Jansatta (Hindi Language), on 27th February, 2026, in respect of the Notice to shareholders regarding special window for transfer & dematerialization of physical securities of Ircon International Limited, is enclosed herewith for your information and record.

कृपया उपरोक्त जानकारी रिकार्ड पर लें।

Thankyou/धन्यवाद,
Yours faithfully/भवदीया,

(Pratibha Aggarwal)/ (प्रतिभा अग्रवाल)
Company Secretary & Compliance Officer/ कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
Membership No./ सदस्यता क्र.: F8874

PLAN EMPHASISES TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT

Govt eyes ₹1.4L cr from Railways' real estate monetisation in 5 years

PRASANTA SAHU
New Delhi, February 26

RAILWAYS PLAN to monetise assets worth ₹1.4 lakh crore by recycling railway estates and land parcels through leasing and public-private partnerships (PPPs) under the National Monetisation Pipeline (NMP 2.0) during FY26-FY30.

This will mark a substantial jump in the transporter's land monetisation. For the last few years, the Rail Land Development Authority has identified surplus land parcels for monetisation but the process has faced many challenges. A major part of the railway land is linear and located in choked areas of cities and towns.

Under the new plan, the real-estate monetisation process will accrue to the Centre, through upfront revenue/premiums and private investment. The bulk—around ₹1 lakh crore—is expected from redeveloping about 200 stations by modernising facilities and expanding commercial space. These upgraded stations are envisioned as "City Centres" offering public amenities such as shopping, leisure, meeting spaces and accommodation.

The plan also emphasises transit-oriented development through better access roads and enhanced multimodal connectivity to stations. Under this model, stations built on an Engineering, Procurement and Construction (EPC) basis will be monetised through the Operate-Maintain-Transfer (OMT) route, allowing revenue-sharing with private operators. The Ministry of Railways will oversee these arrangements.

Over five years, monetisation of other land assets is projected to generate another ₹43,800 crore through PPP-based development of railway land for stations, staff quarters and commercial use. Proceeds will include upfront premiums, revenue share from private partners and associated investments.

Of the ₹1 lakh crore expected from station estates, ₹21,591 crore is projected in FY26, ₹22,045 crore in FY27, ₹9,659 crore in FY28, ₹30,114 crore in FY29 and ₹16,591 crore in FY30. Of the ₹43,800 crore

AT A GLANCE

Railways' real estate recycling (₹ crore)

Station estate development
1,00,000

Other land assets
43,800



■ For the last few years, the Rail Land Development Authority has identified surplus land parcels

■ A major part of the railway land is linear and located in choked areas of cities, towns

from other land assets, ₹7,000 crore is pegged for FY26, ₹11,400 crore for FY27, ₹10,700 crore for FY28, ₹5,500 crore for FY29 and ₹9,200 crore for FY30.

For FY26 alone, the Rail Land Development Authority has already achieved ₹9,890 crore in monetisation, meeting the year's target for other railway land assets under NMP 2.0. Overall, real-estate recycling is set to contribute 54% of the Railways' total ₹2.6 lakh crore asset-monetisation goal for FY26-FY30.

In the first phase of the NMP programme (FY22-FY25), railways achieved only about 30% of the revised ₹1 lakh crore target, largely through RLDA-led land monetisation, as PPP station redevelopment projects lagged.

Chidambaram: ED seeks to expedite trial in PMLA cases

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, February 26

THE ENFORCEMENT DIRECTORATE on Thursday said it wants an expeditious trial against Congress leader P Chidambaram in two money laundering cases, Aircel-Maxis deal and INX Media, as it has submitted the required sanction for prosecution against the former Union finance minister before a designated court.

The federal probe agency had filed a chargesheet in the Aircel-Maxis case in 2018 and in the INX Media case in 2020 at the special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court in Delhi (Rouse Avenue) and the court took their separate cognisance in 2021.

However, in November 2024, the Supreme Court directed (in the ED vs Bibhu Prasad Acharya case) that sanction for prosecution is mandatory in a PMLA chargesheet, similar to such an approval furnished while filing a chargesheet under the Criminal Procedure Code (CrPc).

"To counter such delay and to comply with the judgement of the Hon'ble Supreme Court, ED has swiftly initiated remedial actions by seeking prosecution sanctions in all such prosecution complaints involving public servants," the ED said in a statement. The agency said it sought the sanction for prosecution of Chidambaram from the competent authority.

Next round of FTA talks with Israel in May

FE BUREAU
New Delhi, February 26

INDIA AND ISRAEL will hold the next round of negotiations on their proposed Free Trade Agreement (FTA) in May, after concluding the first round of talks on Thursday.

The inaugural round of negotiations was held from February 23-26 in New Delhi. The next round will take place in Israel. Officials from both sides will continue virtual engagements between the formal rounds to maintain momentum in discussions.

"During the four-day negotiations, both countries engaged in discussions covering a wide range of areas, including trade in goods and services, rules of origin, sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, customs procedures, intellectual property rights, digital trade, and other key



Prime Minister Narendra Modi with his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu during the joint press meet in Jerusalem

chapters," a statement by the commerce ministry said. Prime Minister Narendra Modi, who is on a two-day state visit to Israel, said on Thursday that both sides would soon give

final shape to the proposed FTA.

The terms of reference of the FTA was signed between the two sides on November 20, 2025. Both sides have already

signed a bilateral investment treaty (BIT). Together, the FTA and BIT are expected to enhance market access, boost capital flows, and strengthen trade and investment ties.

Coal India lines up ₹50,000 cr in coal-to-chemicals push

SAURAV ANAND
New Delhi, February 26

WITH INVESTMENTS OF nearly ₹50,000 crore taking shape across three large coal gasification projects, Coal India is moving into downstream chemicals and cleaner fuels at scale, marking its biggest diversification beyond conventional coal mining as India looks to cut import dependence on industrial feedstock and natural gas.

Chairman and Managing Director B Sairam told FE that the projects are being implemented in line with the government's National Coal Gasification Mission, aimed at converting coal into value-added products while improving energy security. The centerpiece of the push is a coal gasification-based ammonium nitrate plant of 6.6 lakh tonne per annum at Lakhampur in Odisha.

CBDC food subsidy pilot launched in Puducherry

SANDIP DAS
New Delhi, February 26

AFTER GUJARAT, the food ministry on Thursday launched a pilot project using the Reserve Bank of India's central bank digital currency (CBDC) for food subsidy distribution under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana in Puducherry, aimed at plugging leakages and ensuring beneficiaries receive quality foodgrains.

Under the pilot, a limited number of beneficiaries, after eKYC, can scan the Fair Price Shop (FPS) QR code to redeem

food coupons and collect foodgrains and other items. The aim, according to a senior official, is to ensure that subsidies and benefits reach the intended recipients and prevent diversion. "Beneficiaries can redeem their entitled quantity of foodgrains at FPSs or merchant outlets using CBDC coupons or voucher codes. The system will address challenges related to biometric authentication and ePoS operational issues while ensuring secure, traceable, real-time transactions," Food Minister Prahlad Joshi said after launching the pilot in Puducherry.

Form No. INC-26
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)

Before the Central Government, Regional Director, Northern Region Directorate I, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of ACME INFOLABS PRIVATE LIMITED (INC-1725002) having its Registered Office at 207, SF, Vardhaman Times Plaza, Plot No. 13 Road No. 44, Pitampura, New Delhi-110034

.....Applicant Company / Petitioner
NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 02nd February, 2026 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region Directorate I, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Anandoyada Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-

207, SF, Vardhaman Times Plaza, Plot No. 13 Road No. 44, Pitampura, New Delhi-110034

For & on behalf of
ACME INFOLABS PRIVATE LIMITED
Sd/-
UDAI PRATAP SINGH
(DIRECTOR)
Date : 26.02.2026
Place : Delhi
DIN: 07610571

SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office & Global Head Office : 7th Floor, Eleven West Panchshil, Survey No. 25, Near PAN Card Club Road, Baner, Pune - 411 069. Tel. : 020-68281200
Email : shares@sudarshan.com Website : www.sudarshan.com CIN : L24119PN1951PLC008409

NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES

In continuation to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, notice is hereby given to inform that in order to facilitate ease of investing for the investors and to secure their rights in the securities purchased by them and to further facilitate the investors to get rightful access to their securities, SEBI vide its Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 dated 30th January, 2026. ("Circular"), has opened another special window from 5th February, 2026 upto 4th February, 2027 for lodgement of transfer and dematerialisation request(s) of physical securities which were sold/purchased prior to 1st April, 2019 and will be applicable in following cases:

1. where original share transfer request(s) were not lodged prior to 1st April, 2019 and the shareholder is holding original share certificate; and
2. where original share transfer request(s) were lodged prior to 1st April, 2019 and those were rejected, returned, or remained unattended due to deficiency in the documents/process/or otherwise and the shareholder is holding original share certificate.

Shareholders who wish to avail this opportunity are requested to contact Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), MUFG Intime India Private Limited at their email id: pune@in.mfpm.com or send the requisite documents at their office at Block no. 202, 2nd Floor, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, Off Dhole Patil Road, Pune- 411001, Maharashtra, India or contact the Company at shares@sudarshan.com

Please note that the securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode once all the documents are found to be in order by the RTA and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien marked/pledged during the said lock-in period. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.

This is for your information.

For Sudarshan Chemical Industries Limited

Sd/-
Mandar Velankar
General Counsel & Company Secretary

Date : 26th February, 2026

Place : Pune

EVEREST INDUSTRIES LIMITED
CIN: L74999MH1934PLC02093
Registered Office: GAT No. 152, Lakhamapur, Taluka Dindori, Nashik - 422202 (Maharashtra)
Tel.: +91 2557 250375/462. Email: compofficer@everestind.com, Website: www.everestind.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE OF TRANSFER REQUESTS AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 dated January 30, 2026, all the shareholders of Everest Industries Limited ("the Company") are hereby informed that a Special Window has been opened for a period of 1 year, from February 5, 2026 to February 4, 2027 to facilitate re-lodgement of transfer request and dematerialisation ("demat") of physical securities which were sold/purchased prior to April 1, 2019. Further, this special window shall also be available for such transfer requests which were submitted prior to April 1, 2019 and were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/otherwise. Please refer below mentioned matrix for clarity with regard to applicability of this window:

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for transfer before April 01, 2019?	Original Security Certificate Available?	Eligible to lodge in the current window?
Before April 1, 2019	No (it is fresh lodgement)	Yes	Yes
Before April 1, 2019	Yes (it was rejected/ returned earlier)	Yes	Yes
Before April 1, 2019	Yes	No	No
Before April 1, 2019	Yes	No	No

Kindly note that the requests which are accompanied by original share certificate along with transfer deed and client master list and all other documents listed in aforesaid SEBI circular shall only be considered under special window. During this period, the securities so transferred shall be credited to the transferee only in demat mode and transferred securities shall be under lock-in period for one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period.

Please note that SEBI Circular HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 dated January 30, 2026 is also available on the website of the Company at <https://www.everestind.com/investor-relations/shareholders-information> for easy reference.

The Shareholders who wish to avail the opportunity of this special window are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. MCS Share Transfer Agent Limited at Gudecha, Onclave Andreis Co-op. Society Ltd, Saki Vihar Road, Saki Naka, Kherani Road, Saki Naka, Andheri (E), Mumbai - 400 072, email id: helpdesk@mcsegregistrars.com, Contact No. 022-28516021/22 or write email to the Company at compofficer@everestind.com

For Everest Industries Limited
Sd/-
Amruta Avasare
Company Secretary

Date: February 26, 2026
Place: Mumbai

Jubilant Pharmova Limited
(CIN: L24116UP1978PLC004624)
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244223, Uttar Pradesh, India
Website: www.jubilantpharmova.com
Email: investors@jubl.com Phone: +91-5924-267437

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Master Circular No. HO/38/13(4)2026 MIRSD POD/1/4298/2026 dated February 06, 2026, shareholders of the Company are hereby informed that a special window will remain open for the transfer and dematerialisation of physical securities that were sold or purchased prior to April 01, 2019 for a period of one year from February 5, 2026 to February 4, 2027.

This special window shall also be available for re lodgement of transfer deeds that were originally lodged prior to April 1, 2019 but were rejected, returned, or remained unattended due to documentation or procedural deficiencies or otherwise.

All securities processed under this window shall be issued only in dematerialised form and will be subject to a mandatory lock in period of one year from the date of registration of transfer, during which such securities shall not be transferred, lien marked, or pledged in accordance with applicable SEBI regulations.

Please note that:
• Disputed cases between transferor and transferee are not eligible and must be resolved through appropriate judicial forums such as Courts/NCLT.
• Securities already transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) are not eligible for processing under this facility.

Shareholders are advised to contact the Company's Registrar & Transfer Agent, Alankit Assignments Limited, for guidance on documentation and submission procedures.

KYC UPDATE AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARE CERTIFICATES

Shareholders holding shares in physical form are also requested to update their KYC details including PAN, Demat Account Number, Bank Account Number, E-mail ID, Mobile Number, and Nominee information, using the forms available at <https://www.jubilantpharmova.com/investors/investor-information/update-of-kyc-details> Please submit the duly filled and signed documents/details mentioned below for the updation of your KYC and nomination details against your folio.

- Form ISR-1: Filled and signed, with self-attested KYC documents; and
- Form ISR-2: Filled and signed, with banker's attestation of your signature original cancelled cheque (with your name printed) or bank passbook/statement (with banker's attestation); and
- Form SH-13: For adding a nominee; or Form ISR-3: If you wish to opt out of nomination.

Shareholders are further advised to dematerialize their shares held in physical form since the transfer of shares held in physical mode has been discontinued.

For assistance, Shareholders may contact the Company's Registrar and Transfer Agent - Alankit Assignments Limited, Alankit House, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055, India, phone: +91 11 42541234, email at rtat@alankit.com, or contact the Nodal Officer of the Company at nodalofficer@jubl.com.

For Jubilant Pharmova Limited
Sd/-
Naresh Kapoor
Company Secretary
Membership No: A11782

Date: February 26, 2026
Place: Noida

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR M/S MAN INFRAPROJECTS LIMITED CONSTRUCTION SERVICES IN RESPECT OF COMMERCIAL OR RESIDENTIAL BUILDINGS AND COLONISING

(Under Regulation 36A [of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016])

SL.	RELEVANT PARTICULARS
1.	Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No. CIN:U70101MH2006PLC164930
2.	Address of the registered office 302, Man Road, 2nd Floor, Opposite Pawan Hans, S.V. Road, Vile Parle - West, Mumbai - 400056.
3.	URL of website NA
4.	Details of place where majority of fixed assets are located The major assets of the Corporate Debtor are located at Mumbai.
5.	Installed capacity of main products/ services The Corporate Debtor is into the business of Real Estate and owns properties located in Mumbai.
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year As per latest audited financial statements the revenue from operations is Rs. 75,00,000 for the financial year 2018-19.
7.	Number of employees/ workmen As on Insolvency Commencement Date, there were no employees or workmen.
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL: Information can be sought through communication to the following email : E-mail: ip.maninfraprojects@gmail.com
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL: Information can be sought through communication to the following email : E-mail: ip.maninfraprojects@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest 16th March, 2026.
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants 23rd March, 2026.
12.	Last date for submission of objections to provisional list 28th March, 2026.
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants 2nd April, 2026.
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants 7th April, 2026.
15.	Last date for submission of resolution plans 12th May, 2026.
16.	Process email id to submit EOI ip.maninfraprojects@gmail.com

Sd/-
Manoj Kumar Agarwal
Resolution Professional
Man Infra Projects Limited (Under CIRP)
Regn. No. IBBI/PA/02/IF-P00714/2017-2018/11222
AFN No: AAL/11222/02/300627/109155 Valid till 30/06/2027
Place: Mumbai
Date: 27.02.2026

EXPRESS Careers

INDIAN PORT RAIL & ROPEWAY CORPORATION LTD.
(A Company under Ministry of Port, Shipping & Waterways, Government of India)
4th Floor, Nirmal Bhavan, Mumbai Port Trust Building, M. P. Road, Mazgaon (E), Mumbai - 400 010.
Phone No. 022-6566335. Fax No. 022-6566336. Email: hr@iprc.in
CIN No: U68300DL2015PLC282783 (An ISO 9001:14001 & 45001 & 37001 Certified Company)

ADVERTISEMENT NO. IP/RC/MUM/HR/REC/07/2026

Applications are invited from experienced and result oriented Indian Nationals for the following posts:
(1) CGM(Projects)/E8 - 04 (01-Bhubaneswar, 01-Chennai, 01-Kolkata & 01-Visakhapatnam), (2) CGM (Electrical)/E8 - 01 at Mumbai, (3) CGM(S&T)/E8 - 01 at Mumbai, (4) CGM(HD)/E8 - 01 at Mumbai (5) CGM(Mechanical)/E8 - 01 at Mumbai (6) CGM(Finance)/E8 - 01 at Mumbai, (7) AGM (Projects)/E6 - 01 at Bilaspur, (8) AGM-E6/JGM-E5 (Civil) - 02 (01-Visakhapatnam & 01-Chennai), (9) JGM (Mechanical)/E5 - 01 at Mumbai, (10) Sr. Manager (S&T)/E3 - 01 at HDC-Haldia, (11) Sr. Manager - E3/Manager-E2 (Finance) - 01 at Mumbai, (12) Dy. Manager (Civil)/E1 - 02 (01-Bilaspur & 01-Vijayawada), (13) Dy. Manager (Electrical)/E1 - 01 at Mumbai, (14) Dy. Manager (Mechanical)/E1 - 01 at Mumbai, (15) Dy. Manager (IT)/E1 - 01 at Mumbai, (16) Dy. Manager (HR)/E1 - 01 at Mumbai, (17) Dy. Manager (Finance)/E1 - 01 at Mumbai, (18) Dy. Manager (Operations & BD)/E1 - 01 at Mumbai, (19) Graduate/ Diploma Engineer Apprentice Trainee (Civil-6, Elect.-2, Mech.-2 at All India)
For eligibility criteria and format of application etc., please visit on website www.iprc.in. In then click on Careers/Vacancy Form or www.iprc.in. In then click on What's New/Port's/Other Organization Advertisement/Indian Port Rail & Ropeway Corporation Ltd. Last date of receiving applications in IPRC Office is 25.03.2026. The application in prescribed format along with copies of requisite certificates / documents and detailed CV should be sent only by post / courier or dropped personally within due date addressed to: Chief General Manager (HR), Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited, 4th Floor, Nirmal Bhavan, M. P. Road, Mazgaon (East), Mumbai-400010.



खबर कोना

सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, सेवा का माध्यम : रेखा गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 26 फरवरी।

रेखा गुप्ता पहले भी कार्यकर्ता थी और आज भी कार्यकर्ता हैं, सिर्फ फर्क दायित्व का है। अपनी सरकार आज एक मिन्ट का भी वक्त बर्बाद नहीं कर सकती क्योंकि 27 सालों का संघर्ष करके जनता का आशीर्वाद मिला है। सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं बल्कि यह सेवा का माध्यम है। यह बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सवदेवा के साथ लगातार चौथे दिन गुरुवार को नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में आयोजित प्रवास कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद योगेंद्र चांदोलिया, मंत्री प्रदेश साहिब सिंह, विधायक सतीश उपाध्याय, हरीश खुराना, नीरज बसोया, अनिल शर्मा, शिखा राय व उमंग बजाज उपस्थित रहे।

कपिल सांगवान के सहयोगी की जमानत याचिकाएं खारिज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 26 फरवरी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरोहबाज कपिल सांगवान के सहयोगी अमरजीत लोचक की अंतरिम और नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। यह मामला संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) से जुड़ा है। अपराध शाखा में यह मामला दर्ज है। अपराध शाखा के अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि लोचक ने अपने बेटे के इलाज का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि उसका बेटा पम्प में भर्ती है और उसे चिकित्सकीय कारणों से राहत दी जाए। इसके साथ ही आरोपित ने मामले के गुण-दोष के आधार पर नियमित जमानत के लिए भी आवेदन दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोमन के अदालत ने दोनों याचिकाओं पर आदेश सुनाया।

पुलिस ने दो करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 26 फरवरी।

दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की कथित तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दो करोड़ रुपए मूल्य की 299 ग्राम स्मैक जब्त की है। आरोपियों की पहचान रोहिणी के बुध विहार निवासी मानव (24) और संगम विहार निवासी हरीश चंद्र (24) के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त के अनुसार स्मैक की तस्करी के संबंध में सूचना 20 फरवरी को प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक टीम ने राज पार्क क्षेत्र में जाल बिछाया।

नई दिल्ली राजधानी

चांदनी चौक में खत्म होगा लटकते तारों का जाल

मुख्यमंत्री ने की शुरुआत, 160 करोड़ की लागत से करीब 52.5 किलोमीटर लंबे बिजली के तार भूमिगत होंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 फरवरी।



दिल्ली सरकार ने इलाकों में ऊपर से गुजर रहे बिजली की तारों को भूमिगत करने की कार्रवाई तेज कर दी है। शालीमार बाग और जनकपुरी विधानसभाओं के बाद अब चांदनी चौक विधानसभा में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को चांदनी चौक इलाके में ऊपर से गुजर रही करीब 52.5 किलोमीटर लंबी ओवरहेड बिजली लाइनों को जमीन के नीचे कराने के काम की शुरुआत की। इस पूरे काम पर कुल 159.75 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चांदनी चौक से मंडोली में 66/11 केवी जीआईएस ग्रिड सब-स्टेशन और शिवालिक, द्वारका व गोयला खुर्द में चार बैटरी ऊर्जा भंडारण

परियोजनाओं की भी आधारशिला रखीं। इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिभूड़ी, मंत्री आशीष सूद, क्षेत्रीय पार्षद सुमन गुप्ता, बीएसईएस के समूह सीईओ अमल सिन्हा, बीआरपीएल के सीईओ अभिषेक रंजन और बीवाईपीएल के सीओओ ब्रजेश कुमार भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखना और बिजली व्यवस्था

को और बेहतर बनाना है। रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक की 28 सड़कों और गलियों में लटकते बिजली के तारों को हटाने के लिए दिल्ली सरकार और बीवाईपीएल ने बड़ी परियोजना शुरू की है। इस काम के तहत 500 नए फीडर पिलर लगाए जाएंगे, कंबावटी स्ट्रीट लाइट खंभे लगाए जाएंगे और निगरानी के लिए आधुनिक 'डिजिटल ट्विन' तकनीक का उपयोग होगा। यह पूरा काम

चरणबद्ध तरीके से रात के समय किया जाएगा ताकि लोगों को दिनचर्या और यातायात पर कम से कम असर पड़े। इस योजना से करीब 10,000 उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। आग लगने और खराब मौसम से होने वाली बिजली की दिक्कतें कम होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदनी चौक लोकसभा के विकास के लिए पहले 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आश्वासन दिया गया

था, लेकिन अब आवश्यकता को देखते हुए यह राशि 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। गुप्ता ने कहा कि मंडोली में 66/11 केवी जीआईएस ग्रिड सब-स्टेशन बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता 63 एमवीए होगी। इस परियोजना पर लगभग 55.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस ग्रिड से करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।

युवा कांग्रेस के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कई नेता हिरासत में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 फरवरी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को राजधानी में युवा कांग्रेस के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और जंतर-मंतर पर धरने के अनुमति न दिए जाने के विरोध में रायसीना रोड स्थित कार्यालय पर हुआ। इस दौरान पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव भी शामिल रहे। उन्हें जाफरपुर थाने ले जाया गया।

वहीं, युवा कांग्रेस की ओर से गुरुवार को 'शांतिपूर्ण सत्याग्रह' आयोजित किया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख वरुण पांडेय के अनुसार, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्रीनिवास बीवी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पंजाब से कांग्रेस विधायक राणा गुरजित सिंह और कई अन्य नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए। कांग्रेस के इन सभी नेताओं ने एक स्वर से यह मांग कि उदय भानु चिब और युवा कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।



नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित शांतिपूर्ण सत्याग्रह अभियान के दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता।

वहीं, देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार के दबाव में दिल्ली पुलिस विपक्ष की आवाज को दबा रही है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर लोकतांत्रिक विरोध का निर्धारित स्थल है, जहां शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन की अनुमति न देना सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। यादव ने कहा कि देश में

असहमति की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष के रास्ते पर चलती रहेगी। उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि वे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके नेतृत्व में एकजुट रहना होगा।

दिल्ली दंगे का मामला : लूट व आगजनी के तीन आरोपी बरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 फरवरी।

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और गैरकानूनी रूप से सभा करने के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया है। अदालत का कहना है कि अभियोजन पक्ष मामले में उनके अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अतिरिक्त करने न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत सागर, देवेन्द्र गौतम और अनमोल के खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई कर रही थी। इन आरोपियों के खिलाफ दंगा करने, आगजनी, डकैती और सरकारी संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने आदेश में कहा कि मुझे ऐसा कोई

अदालत का कहना है कि अभियोजन पक्ष मामले में उनके अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। आरोपियों के खिलाफ दंगा करने, आगजनी, डकैती के आरोप लगाए गए थे।

सबूत नहीं मिला जिससे अदालत आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित कर सके। इसलिए आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है। सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ये तीनों 25 फरवरी, 2020 को सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मिलान नुकसान निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने आदेश में कहा कि मुझे ऐसा कोई

तुर्कमान गेट हिंसा, अदालत ने छह आरोपियों को जमानत दी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 फरवरी।

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने तुर्कमान गेट स्थित फेज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान हुई पथराव को घटना मामले में आरोपी छह व्यक्तियों को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने मोहम्मद फैज, मोहम्मद अफ्फान, मोहम्मद इमरान, शहजाद, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद फहीम को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक एक जमानतदार पर जमानत प्रदान की। सरकारी की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एम असद बेग, मनजजीत सैनी और अन्य पेश हुए। न्यायाधीश ने 25 फरवरी के आरोपों में कहा कि आरोपों की गंभीरता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत

प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, विशेष रूप से उनकी आयु, साफ सुथरी छुट्टी, कारावास की अवधि, जमानत पर रिहा किए गए सह-आरोपियों के साथ समानता और जांच के उद्देश्य से उनकी आवश्यकता नहीं होने के आधार पर, मैं जमानत याचिका में पर्याप्त आधार पाता हूँ। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से रिकार्ड में 25 गैर वीडियो साक्ष्य से आरोपियों की पहचान निर्णायक रूप से स्थापित नहीं होती है, क्योंकि उसमें उनके चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक जांच अभी जारी है। अदालत ने कहा कि आरोपियों को घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि जांच के दौरान वाद में पकड़ा गया।

पाषाण काल से ब्रिटिश शासन तक के पुरावशेषों से सजेगा लालकिला

अनामिका सिंह
नई दिल्ली, 26 फरवरी।

वर्षों से पुराना किला में संरक्षित करके रखे गए पुरावशेषों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने गुरुवार से लालकिला स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। कई गाड़ियों में लकड़ी के डिब्बों में बंद करके अवशेषों को लालकिला भेजा जा चुका है और अभी लगातार कई दिनों तक इन्हें भेजा जाएगा क्योंकि पुरावशेषों की संख्या तकरवीन तीन लाख है। ये पुरावशेष पाषाण काल से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक के हैं, जिन्हें आने वाले समय में लालकिला में पर्यटकों को देखने का मौका मिल सकता है। एएसआइ के अधिकारियों का कहना है कि इन पुरावशेषों को लालकिला परिसर में ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए भवनों, जिन्हें 'कालोनियल बिल्डिंग' कहा जाता है उसकी बी-चार इमारत में रखा जाएगा। आने वाले समय में एएसआइ इन भवनों को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करेगा। मालूम हो कि पहले से ही लालकिला परिसर के भीतर बने कई कालोनियल बिल्डिंग का प्रयोग एएसआइ संग्रहालय के रूप में कर रही है। बता दें कि पुरावशेषों के स्थानांतरण को लेकर एएसआइ के निदेशक (प्रशासन) प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने 2 फरवरी 2026 को ही नाराजगी जाहिर करते हुए आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि इन पुरावशेषों के स्थानांतरण में केंद्रीय पुरातन संग्रह



पुराना किला से लगभग तीन लाख अवशेषों का स्थानांतरण आरंभ।

सहित जिन देशों में भी रखन का कार्य किया, वहां से लाकर संरक्षित किए गए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में वह पुरावशेष भी हैं जो अन्य देशों द्वारा भारत को लौटाए गए थे। सूत्रों के अनुसार, इन अवशेषों में 25 लाख ईसा पूर्व यानी पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी व हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल व आधुनिक में औपनिवेशिक युग यानि ब्रिटिश साम्राज्य के पुरावशेष शामिल हैं।

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बोधी मंजिल, टॉवर-1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029
फोन: 011-71233525, सीआईएन: L74899DL1998PLC093073
ईमेल: investors@petronetng.in, कंपनी की वेबसाइट: www.petronetng.in

शेयरधारकों को सूचना

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और अर्भौतिकीकरण के लिए विशेष विंडो

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निवेशकों के आसन बनाने और उनके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, 02 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण विंडो को पुनः जमा करने के लिए एक विशेष विंडो खोली गई थी। इसके अलावा, 30 जनवरी, 2026 के संशुद्ध परिपत्र के अनुसार, 01 अप्रैल, 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डिमैटरीयलाइजेशन ('डिमैट') के लिए एक और विशेष विंडो खोली है। यह विशेष विंडो 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक खुली रहेगी। विस्तृत परिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.petronetng.in पर उपलब्ध है।

विशेष विंडो ऐसे स्थानांतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकार कर दिए गए/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार हस्तांतरित प्रतिभूतियों को अतिरिक्त रूप से हस्तांतरित की जा सकती है। विशेष विंडो के तहत रखा जाएगा। ऐसी प्रतिभूतियों को उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान हस्तांतरित/ग्रहणाधिकार विहित/प्रतिज्ञा नहीं किया जाएगा।

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए कानूनी रूप से वैध और पूर्ण दस्तावेज जमा करने पर विचार किया जाएगा, जहां स्वामित्व पर कोई विवाद नहीं है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित की गई प्रतिभूतियों को प्रसारण के लिए इस विंडो के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।

निवेशक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास 04 फरवरी, 2027 तक अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। निवेशकों के पास डिमैट खाता होना चाहिए और आरटीए के साथ भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध करते समय 30.01.2026 के संशुद्ध परिपत्र में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने चाहिए। ऐसे स्थानांतरण-सह-डिमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट करें और अवैतनिक/अदावाकृत लाभार्थ का दावा करें

कंपनी अपने शेयरहोल्डरों से अनुरोध करती है कि वे अपने KYC रिकॉर्ड अपडेट करें और कंपनी के पास पड़े अपने अवैतनिक/अदावाकृत लाभार्थ पर दावा करें और कानूनी जरूरतों के हिसाब से अवैतनिक लाभार्थ/या शेयरों को IEPF में ट्रांसफर करने से बचें। कृपया 100 दिवसीय अभियान के संदर्भ में शेयरधारकों को पहले दिए गए विस्तृत संस्कार - "संस्कार निवेशक" को <https://petronetng.in/norms-for-processing-investors-service-requested-by-rta-related-forms> पर देखें

शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त पर ध्यान दें और तदनुसार कार्य करें। इसके अलावा, कृपया आवश्यक दस्तावेज जमा करें। किसी भी अतिरिक्त सहायता के लिए, कृपया हमसे investors@petronetng.in पर संपर्क करें

आपका विश्वासपूर्वक,
कृपे पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
एलसी/ए
राजान कारु
जोड़ीएए एवं अध्यक्ष - कंपनी सचिव

जुबिलेंट फार्मावो लिमिटेड

(सीआईएन: L24116UP1978PLC04624)
पंजीकृत कार्यालय: भरतियोगाम, गजरोली, जिला अमरोहा - 244223, उत्तर प्रदेश, भारत
वेबसाइट: www.jubilantpharma.com
ईमेल: investors@jubil.com फोन: 91-5924-267437

हस्तांतरण के पुनः आवेदन हेतु विशेष विंडो भौतिक शेयरों के लिए अनुरोध

एएसआईआई के मास्टर स्कूल संख्या HO/38/13/4/2026 MIRSDD PODI/4298/2026 दिनांक 6 फरवरी, 2026 के अनुसार, कंपनी को शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची या खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और विमूर्तकरण के लिए एक विशेष विंडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए खुली होगी। यह विशेष विंडो उन हस्तांतरण विंडोओं को पुनः जमा करने के लिए भी उपलब्ध होगी जो मूल रूप से 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे लेकिन दस्तावेजीकरण या प्रक्रियात्मक कमीयों या अन्य कारणों से अस्वीकार, वापस कर दिए गए थे या अनुरोधित नहीं की गई थी। इस विंडो के तहत संसाधित सभी प्रतिभूतियां केवल विमूर्त रूप में जारी की जाएंगी और हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन अवधि के अधीन होंगी, जिसके दौरान ऐसी प्रतिभूतियों को लागू एएसआईआई विनियमों के अनुसार हस्तांतरित, ग्रहणाधिकार विहित या निरवधि नहीं रखा जाएगा। कृपया ध्यान दें कि:

- हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरित की बीबी विवादिता मामले सह सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं और इनका समाधान न्यायालयों/एनसीएलटी जैसे उपायुक्त न्यायिक नवों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में पहले से हस्तांतरित प्रतिभूतियां इस विंडो के अंतर्गत प्रसंकरण के लिए पात्र नहीं हैं।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेजीकरण और जमा करने की प्रक्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड से संपर्क करें।

केवाईसी अपडेट और भौतिक शेयर सर्टिफिकेट का डिमैटरीयलाइजेशन

जिन शेयरधारकों के पास शेयरों की भौतिक प्रतियां हैं, उनसे अनुरोध है कि वे <https://www.jubilantpharma.com/investors/investor-information/updates-of-kyc-details> पर उपलब्ध फॉर्म को उपयोग करके अपने पैन कार्ड, डिमैट खाता संख्या, बैंक खाता संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नामांकित व्यक्ति की जानकारी सहित अपने केवाईसी विवरण को अपडेट करें। कृपया अपने फोनियों के लिए अपने केवाईसी और नामांकन विवरण को अपडेट करने हेतु नीचे दिए गए विधिवत ढंग से हस्तांतरित दस्तावेज/चिप/विवरण जमा करें।

- फॉर्म आईएसआर-1: भरा हुआ और हस्ताक्षरित, स्व-स्थापित केवाईसी दस्तावेजों के साथ और
- फॉर्म आईएसआर-2: भरा हुआ और हस्ताक्षरित, आपके हस्ताक्षर बैंक के सत्यापन के साथ; मूल रर बैंक/जिस पर आपका नाम छपा हो। या बैंक पासबुक/स्टेटमेंट बैंक के सत्यापन के साथ और
- फॉर्म एसएन-13: नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के लिए या फॉर्म आईएसआर-3: यदि आप नामांकन से बाहर निकलना चाहते हैं।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भौतिक रूप में रखे शेयरों को डिमिटेड रूप में परिवर्तित कर लें, क्योंकि भौतिक रूप में रखे शेयरों का हस्तांतरण बंद कर दिया गया है। सहायता के लिए, शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट-अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 205-208, अनाकरी कॉलेज, इंडियालाइन एस्टेट्स, नई दिल्ली - 110055, भारत से फोन: 91 11 42541234, ईमेल: rt@alankit.com, या कंपनी के नोडल अधिकारी से nodalofficer@jubil.com पर संपर्क कर सकते हैं।

जुबिलेंट फार्मावो लिमिटेड के लिए
हस्ता/ए
नरेश सावर
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : ए11782

दिनांक: 26 फरवरी, 2026

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

<https://bankofbaroda.bank.in>

ई-नीलामी सह विक्री सूचना

बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के स्वामित्व वाले वाहनों की "जैसा है, जहां है और जिस भी स्थिति में है" के आधार पर ई-नीलामी-सह-विक्री के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट <https://bankofbaroda.bank.in> पर ई-नीलामी खंड के अंतर्गत और 'auctiontiger' की वेबसाइट <https://www.auctiontiger.net/> पर उपलब्ध है। अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट पर 'ई-नीलामी खंड' के तहत जारी की जाएगी। बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे प्री-बिड ईएमपी जमा करने/नीलामी शुरू होने से पहले वेबसाइट अवश्य देख लें।

ईएमपी प्री-बिड भुगतान जमा करने की अंतिम तारीख: 20/03/2026 शाम 04.00 बजे से पहले

नीलामी की तारीख और समय: 24/03/2026 प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे के मध्य

ललित नारायण मोहंता
सहायक महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट कार्यालय प्रशासन (सीओए)
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, वीकेसी, मुंबई

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.02.2026

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
नरेश कर्णी

पंजीकृत कार्यालय: C-4, इंडियन बैंक, वाइक, नई दिल्ली-110017, उदिका
देशीय नंबर: +91-11-26532626 ईमेल: +91-11-26554000, वेब: www.iircon.org
ई-मेल: investors@iircon.org CIN: L45203DL1976GO008171

शेयरहोल्डरों को सूचना

फिजिकल सिक्के/टीक के ट्रांसफर और डिमैटरीयलाइजेशन के लिए स्पेशल विंडो

कृपया ध्यान दें कि मूल प्रतिभूति प्रमाणपत्र(ओ) के साथ हस्तांतरण विंडो(ओ) एक अन्य सहायक दस्तावेज संलग्न होने पर ही अनुदेवों पर विशेष विंडो के अंतर्गत विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मामलों पर इस विंडो के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा:

- हस्तांतरणकर्ता एक हस्तांतरणकर्ता की बीबी विंडो के संबंधित मामलों पर इस विंडो के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों का निराकरण हस्तांतरण और हस्तांतरणकर्ता द्वारा न्यायालय/एनसीएलटी की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।
- इन्वेस्टर पर्सनल (एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में रिकॉर्ड की गई फीस पर इस विंडो के तहत प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

उपरोक्त अनुरोध हस्तांतरित की गई प्रतिभूतियों अनिवार्य रूप से केवल डिमैट में ही हस्तांतरित प्रामाणिक (ट्रांसफर) के खाते में जमा की जाएगी तथा हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से 1 (एक) वर्ष की लॉक-इन अवधि के अधीन होगी।

यदि शेयरधारक अपने स्थानांतरण (ट्रांसफर) अनुरोध आवश्यक दस्तावेजों सहित किसी इष्टु के लिए कंपनी का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) Alankit Assignments लिमिटेड, अलंकित हाउस, 205-208, इंडियालाइन एस्टेट्स, नई दिल्ली - 110055 के पास कर जमा कर सकते हैं। संपर्क: +91-11-42541234, +91-11-42541957 ई-मेल आईडी: rt@alankit.com

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26 फरवरी, 2026

प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव

जुबिलेंट फार्मावो लिमिटेड
(सीआईएन: L24116UP1978PLC04624)
पंजीकृत कार्यालय: भरतियोगाम, गजरोली, जिला अमरोहा - 244223, उत्तर प्रदेश, भारत
वेबसाइट: www.jubilantpharma.com
ईमेल: investors@jubil.com फोन: 91-5924-267437

हस्तांतरण के पुनः आवेदन हेतु विशेष विंडो भौतिक शेयरों के लिए अनुरोध

एएसआईआई के मास्टर स्कूल संख्या HO/38/13/4/2026 MIRSDD PODI/4298/2026 दिनांक 6 फरवरी, 2026 के अनुसार, कंपनी को शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची या खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और विमूर्तकरण के लिए एक विशेष विंडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए खुली होगी। यह विशेष विंडो उन हस्तांतरण विंडोओं को पुनः जमा करने के लिए भी उपलब्ध होगी जो मूल रूप से 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे लेकिन दस्तावेजीकरण या प्रक्रियात्मक कमीयों या अन्य कारणों से अस्वीकार, वापस कर दिए गए थे या अनुरोधित नहीं की गई थी। इस विंडो के तहत संसाधित सभी प्रतिभूतियां केवल विमूर्त रूप में जारी की जाएंगी और हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन अवधि के अधीन होंगी, जिसके दौरान ऐसी प्रतिभूतियों को लागू एएसआईआई विनियमों के अनुसार हस्तांतरित, ग्रहणाधिकार विहित या निरवधि नहीं रखा जाएगा। कृपया ध्यान दें कि:

- हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरित की बीबी विवादिता मामले सह सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं और इनका समाधान न्यायालयों/एनसीएलटी जैसे उपायुक्त न्यायिक नवों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में पहले से हस्तांतरित प्रतिभूतियां इस विंडो के अंतर्गत प्रसंकरण के लिए पात्र नहीं हैं।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेजीकरण और जमा करने की प्रक्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड से संपर्क करें।

केवाईसी अपडेट और भौतिक शेयर सर्टिफिकेट का डिमैटरीयलाइजेशन

जिन शेयरधारकों के पास शेयरों की भौतिक प्रतियां हैं, उनसे अनुरोध है कि वे <https://www.jubilantpharma.com/investors/investor-information/updates-of-kyc-details> पर उपलब्ध फॉर्म को उपयोग करके अपने पैन कार्ड, डिमैट खाता संख्या, बैंक खाता संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नामांकित व्यक्ति की जानकारी सहित अपने केवाईसी विवरण को अपडेट करें। कृपया अपने फोनियों के लिए अपने केवाईसी और नामांकन विवरण को अपडेट करने हेतु नीचे दिए गए विधिवत ढंग से हस्तांतरित दस्तावेज/चिप/विवरण जमा करें।

- फॉर्म आईएसआर-1: भरा हुआ और हस्ताक्षरित, स्व-स्थापित केवाईसी दस्तावेजों के साथ और
- फॉर्म आईएसआर-2: भरा हुआ और हस्ताक्षरित, आपके हस्ताक्षर बैंक के सत्यापन के साथ; मूल रर बैंक/जिस पर आपका नाम छपा हो। या बैंक पासबुक/स्टेटमेंट बैंक के सत्यापन के साथ और
- फॉर्म एसएन-13: नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के लिए या फॉर्म आईएसआर-3: यदि आप नामांकन से बाहर निकलना चाहते हैं।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भौतिक रूप में रखे शेयरों को डिमिटेड रूप में परिवर्तित कर लें, क्योंकि भौतिक रूप में रखे शेयरों का हस्तांतरण बंद कर दिया गया है। सहायता के लिए, शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट-अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 205-208, अनाकरी कॉलेज, इंडियालाइन एस्टेट्स, नई दिल्ली - 110055, भारत से फोन: 91 11 425412